

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 273 / 2022(2022 / 733)

1. बद्रीलाल पुत्र मोहनलाल रेगर निवासी ग्राम आलोली तहसील सावर

—वादी

बनाम

1. प्रभुलाल पुत्र गोपाल बैरवा निवासी गोविन्दपुरा ढाणी, दलवासा थांवला तहसील देवली जिला टोंक निवासी ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर
2. सूरमानाथ पत्नि कालूनाथ जाति कालबेलिया निवासी गुलगांव हाल निवासी सावर तहसील सावर जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रतिवादीगण

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:-

प्रार्थी वकील :- श्री शिवप्रसाद पारासर, श्री सुशील कुमार माली

पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 05.01.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया ,कि ग्राम गुलगांव तहसील केकडी की जमाबंदी संवत 2069-72 जमाबंदी 2076 से स्थायी के खाता संख्या नया-पुराना 774-106 के खसरा नम्बर 2703 रकबा 1.53 हैक्ट. किस्म बारानी 1 का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 15.11.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकडी ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	बद्रीलाल पि. मोहनलाल रेगर सा0 आलोली खातेदार	2703 / 1	0.81 हैक्ट	बा.प्र.
		किता 1	रकबा 0.81 हैक्ट	
2	प्रभुलाल पि. गोपाल बैरवा सा. गोविन्दपुरा ढाणी दलवासा तहसील देवली	2703 / 2	0.64 हैक्ट	बा.प्र.
		किता 1	रकबा 0.64 हैक्ट	
3	सुरमानाथ पत्नि कालूनाथ कौम कालबेलिया	2703 / 3	0.08 हैक्ट	बा.प्र.
		किता 1	रकबा 0.08 हैक्ट	

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मे वादी व प्रतिवादीगण का अलग-अलग हिस्सा चिन्हित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि वादी बद्रीलाल पि. मोहनलाल मौके पर उपस्थित रहे। वकील पक्षकारान को सुना गया।



राजस्व वाद  
अधिकारी  
केकडी (अजमेर)




पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दरतावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

क्र.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
सं. 1	बस्तीलाल पि. मोहनलाल रेगार सा10 आलोली खातेदार	2703/1	0.81 हैक्ट	बा.प्र.
		कित्ता 1	रकबा 0.81 हैक्ट	
2	प्रभुलाल पि. गोपाल बैरवा सा. गोविन्दपुरा ढाणी दलवासा तहसील देवली	2703/2	0.64 हैक्ट	बा.प्र.
		कित्ता 1	रकबा 0.64 हैक्ट	
3	सुरमानाथ पत्नि कालूनाथ कौम कालबेलिया	2703/3	0.08 हैक्ट	बा.प्र.
		कित्ता 1	रकबा 0.08 हैक्ट	

तहसीलदार केकडी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करें। इस आशय का डिक्ली पर्या जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।  
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(विकास पंचोली)  
उपरखण्ड आधिकारी  
केकडी (अर्जेंट)

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर  
(पीठासीन अधिकारी केम कोर्ट)  
पीठासीन अधिकारी:- विक्रास पंचोली (आर.ए.एस.)

उनथान

1. बन्नीलाल पुत्र मोहनलाल रेगर निवासी ग्राम आलोली तहसील सावर

—वादी

बनाम

1. प्रभुलाल पुत्र गोपाल बैरवा निवासी गोविन्दपुरा ढाणी, दलवासा थांवाला तहसील देवली जिला टोंक निवासी ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर
2. सुरमानाथ पत्नि कालूनाथ जाति कालबेलिया निवासी गुलगांव हाल निवासी सावर तहसील सावर जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 88,53,209 राज. कारतकारी अधिनियम व धारा 128 राज0 लेख देख्यू एक्ट

मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 273 / 2022 (2022 / 733)

निर्णय दिनांक:- 05.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिशाल कर्टई ऊवरु श्री विक्रास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री शिवप्रसाद पारासर वकील वादी पैरोकार सरकार जर्ग तहसीलदार तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुयम दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53 राज. कारतकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर स्थायी जमाबंदी के खाता सख्या नया-पुराना 774-106 के खसरा संख्या 2703 के रकबा 1.53 हैक्टर निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 15.11.2022 की पालना में बटवारा तहसीलदार केकडी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किरम
1	वदीलाल पि. मोहनलाल रेगर सा0 आलोली खातेदार	2703 / 1	0.81 हैक्ट	बा.प्र.
2	प्रभुलाल पि. गोपाल बैरवा सा. गोविन्दपुरा ढाणी दलवासा तहसील देवली	2703 / 2	0.64 हैक्ट	बा.प्र.
3	सुरमानाथ पत्नि कालूनाथ कौम कालबेलिया	2703 / 3	0.08 हैक्ट	बा.प्र.
		किता 1	रकबा 0.08 हैक्ट	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का अंतिम डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिक्न अपना अपना वहन करे।

बीज मुबलिक

वावर्त फीरदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह को अदा करे

वसुला गेरे दस्तखत व मुहर अदातत के आज तारीख 05.01.2023 को जारी की गई।

दस्तावेज  
सिद्धांत  
सुरमानाथ  
पंचोली



मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 273 / 2022 (2022 / 733)  
निर्णय दिनांक:- 05.01.2023